(80)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1483-I/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.02.2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला बैतूल प्रकरण क्रमांक 5/अ-6/2011-12.

---

1. श्रीमती कौशल्या बेवा रामनाथ (सिंघल) अग्रवाल,
2. मुरलीधर पिता रामनाथ (सिंघल) अग्रवाल
3. बंशीधर पिता रामनाथ (सिंघल) अग्रवाल
4. ब्रजमोहन पिता रामनाथ (सिंघल) अग्रवाल
5. रामगोपाल पिता रामनाथ (सिंघल) अग्रवाल
6. कु. सोनल पिता रामनाथ (सिंघल) अग्रवाल
7. कु. कृष्णा पिता रामनाथ (सिंघल) अग्रवाल अवयस्क
   प्रतिपाल्य मां कौशल्या बाई बेवा रामनाथ अग्रवाल

   सभी निवासी शास्त्री वार्ड मुलताई,

   तहसील मुलताई, जिला बैतूल, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. संजय आत्मज अमरचन्द (ऐरण) अग्रवाल
2. जगमोहन आत्मज अमरचन्द (ऐरण) अग्रवाल

   निवासी गांधी चौक मुलताई, पो.तह. मुलताई,

   जिला बैतूल, म.प्र. .....अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/4/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर अपर कलेक्टर, जिला बैतूल द्वारा पारित दिनांक 17.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका श्रीमती कौशल्या पत्नी स्व. रामनाथ (सिंघल) अग्रवाल तथा अन्य द्वारा अपर कलेक्टर, जिला बैतूल के समक्ष नायब तहसीलदार श्री

दीवान मुलताई द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 19/अ-6/09-10 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.05.2011 के विरूद्ध संहिता की धारा 1959 की धारा 50 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर शासन को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। निराधार रूप से शासन को पक्षकार नहीं बनाने की धारणा बनाकर नायब तहसीलदार द्वारा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया। वसीयतकर्ता रूखमणीबाई सिंघल परिवार की सदस्य थी, जो अचल संपत्ति अनावेदकगण को वसीयत में दी है, वह सम्पूर्ण सम्पत्ति उसके पति से प्राप्त हुई थी। तथाकथित लक्ष्मीनारायण मंदिर की ग्राम मल्लहारा में स्थित खसरा नं. 429 रकबा 8.498 हैक्टेयर भूमि पर जिलाधीश को प्रबंधक के रूप में इन्द्राज किया है तथा विचाराधीन वसीयतनामा की सम्पत्ति परोक्ष रूप से लक्ष्मीनारायण मंदिर की उन्नति एवं धर्म कार्य हेतु लगाने के आशय से वसीयत की है। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय ने शासन को पक्षकार नहीं बनाने संबंधी कोई कारण अपने आदेश में नहीं लिखा। अतएव पुनरीक्षण विधि के तथ्य समाहित हैं, विधि के तथ्यों पर विचार होना न्यायहित में है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम आदेश दिनांक 24.05.2011 निरस्त कर सार्वजनिक सम्पत्ति में प्रबंधक की हैसियत से जिलाधीश का नाम पक्षकारों में जोड़ने संबंधी निष्पक्ष न्याय दान हेतु आदेश दिया जाये। अपर कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण क्र. 5/अ-6/2011-12 दर्ज कर दिनांक 17.02.2012 को आदेश पारित कर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण ने यह निगरानी अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक क्र. 1 के बीमार होने के कारण मात्र 15 दिनों के विलंब से प्रस्तुत की है। अत: समयावधि आवेदन पत्र स्वीकार कर निगरानी स्वीकार कर आवेदकगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे।

(2) आवेदकगण स्व. श्रीमती रूकमणी बाई पत्नी स्व. श्री मदनलाल अग्रवाल के गोद पुत्र स्व. रामनाथ अग्रवाल के वारिस व वैध उत्तराधिकारी है। वर्ष 1970 में मूल व्यक्ति मंगतूराम के पुत्रगण 1. ज्वाला प्रसाद, 2. गणपतराम, 3. जैरामदास (जीवित) एवं 4. बनावरी लाल के वारिसान के मध्य पैत्रिक भूमि के पारिवारिक पंजीकृत बंटवारे में श्रीमती रूकमणी देवी

एवं उनकी सास श्रीमती बादामी बाई व रामनाथ को भूमि प्राप्त हुई थी, जिसका विवरण राजस्व अभिलेखों में अंकित है। इसी बंटवारे में यह शर्त उल्लेखित है कि श्रीमती बादामीबाई व रूकमणीदेवी को बंटवारे में प्राप्त हिस्से की भूमि को रहन, बिक्री व वसीयत करने के अधिकार नहीं होगा तथा श्रीमती बादामीबाई व रूकमणीदेवी के फौत होने पर उक्त भूमि उनके गोदपुत्र रामनाथ को प्राप्त होगी।

(3) श्रीमती रूकमणीदेवी ने पंजीकृत बंटवारे की शर्तों का उल्लंघन करते हुए दिनांक 07.02.2007 को भूमि की वसीयत अनावेदकगण के नाम पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित करा दिया, जबकि रूकमणी देवी को भूमि की वसीयत करने का अधिकार नहीं था, जो कि उनके बाद स्व. रामनाथ अर्थात् आवेदकगण के पिता व पति को प्राप्त होकर आवेदकगण को प्राप्त होना तय था।

(4) श्रीमती रूकमणीदेवी द्वारा की गई वसीयत के आधार पर अनावेदकगण ने नामांतरण हेतु एक नामांतरण प्रकरण तहसील न्यायालय मुलताई के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें आवेदकगण ने आपित्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वसीयत को अवैध घोषित कराने तथा दावा बावत् उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु एक व्यवहार वाद क्र. 05ए/06 व्यवहार न्यायाधीश, मुलताई के समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में तथा स्वत्व का प्रश्न विचाराधीन होने से उक्त नामांतरण स्वीकार न किया जावे।

(5) रूकमणीदेवी द्वारा की गई वसीयत में यह शर्त उल्लेखित है कि "इस इच्छा पत्र द्वारा लक्ष्मीनारायण मंदिर मुलताई की उन्नति, धर्मलाभ हेतु जगमोहन पिता श्री अमरचंद अग्रवाल उम्र 35 वर्ष को इस इच्छापत्र द्वारा प्रदान करती हूँ कि वह इस भूमि को मेरी मृत्यु के बाद अपने नाम कराकर आधिपत्य में करे एवं देखभाल व उन्नति करेंगे एवं विक्रय कर उसकी किंमत से मंदिर में सुधार करे व धर्मलाभ के लिए जिस प्रकार खर्च करना चाहे करे, ताकि मेरे पति की आत्मा को शांति मिले।

(6) आवेदकगण ने नामांतरण प्रकरण में दिनांक 10.11.2010 को एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर बताया कि सहस्वामियों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा एक आवेदन पत्र उक्त नियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वसीयतकर्ता द्वारा वसीयतग्रहिता को सम्पत्ति की वसीयत नहीं की, बल्कि उसे न्यासी नियुक्त किया है तथा सम्पत्ति परोक्ष रूप से लक्ष्मीनारायण मंदिर मुलताई को वसीयत की

गई है। लक्ष्मीनारायण मंदिर की संपत्ति सार्वजनिक संपत्ति है तथा जिलाधीश उसके प्रबंधक हैं। ऐसी स्थिति में यदि नामांतरण होता है, तो कलेक्टर का प्रबंधक के तौर पर नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होगा। इस कारण जिलाधीश को प्रकरण में पक्षकार बनाया जावे।

(7) तहसील न्यायालय ने सहभूमिस्वामियों को पक्षकार बनाने के आदेश कर दिये, परंतु दिनांक 24.05.2011 को आदेश पारित कर जिलाधीश को पक्षकार बनाने का आवेदन निरस्त कर दिया।

(8) तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की, परंतु उनके द्वारा भी वसीयतनामे व ट्रस्ट एक्ट को समझे बिना ही बिना किसी उचित कारण के दिनांक 17.02.2012 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त कर दी।

(9) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वसीयत को समझने में भूल की है, वसीयतनामे की शर्त अनुसार वसीयती, मात्र लक्ष्मीनारायण मंदिर की उन्नति व देखरेख हेतु वसीयतग्रहिता के पक्ष में की गई है, ना कि वसीयती सम्पत्ति का स्वामित्व व आधिपत्य वसीयतग्रहिता को सौंपा गया है। न्यास अधिनियम के अनुसार धर्मलाभ हेतु की गई सम्पत्ति की वसीयत में वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद सम्पत्ति न्याय में विलय होती है और न्यास का प्रबंधक जिलाधीश होता है। इस कारण उक्त नामांतरण प्रकरण में जिलाधीश को आवश्यक पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

(10) उक्त नामांतरण में दिनांक 24.04.2012 को तहसील न्यायालय ने आदेश पारित कर अनावेदकगण को नामांतरण करना स्वीकार किया था, जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 25.05.2012 को अपील प्रस्तुत की थी, जिसे स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 18.06.2013 को आदेश पारित कर नामांतरण आदेश निरस्त करते हुए उभय पक्षों को निर्देशित किया कि वह अपने पक्ष में नामांतरण चाहते हैं, तो वह अपना स्वत्व व्यवहार न्यायालय से प्रमाणित करावे निर्णय पश्चात् ही नामांतरण की प्रक्रिया की जा सकती है।अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर नामांतरण प्रकरण में

जिलाधीश न्यायालय को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रकरण में वसीयत में मंदिर का उल्लेख होने से मंदिर के प्रबंधक कलेक्टर को पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया है, चूंकि कलेक्टर प्रबंधक के साथ-साथ शासन के भी प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उन्हें पक्षकार बनाए जाने में किसी पक्ष को कोई हानि नहीं है, किंतु नायब तहसीलदार द्वारा शासन को पक्षकार नहीं बनाकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, नायब तहसीलदार के उक्त आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर द्वारा भी की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः नायब तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त कर सार्वजनिक संपत्ति में प्रबंधक की हैसियत से कलेक्टर का नाम पक्षकारों में जोड़ा जाना उचित है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2012 एवं नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.2011 निरस्त किये जाते हैं तथा निगरानी स्वीकार करते हुए सार्वजनिक संपत्ति में प्रबंधक की हैसियत से कलेक्टर को पक्षकार बनाया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर